UPEW010019392026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, इटावा।

पीठासीन अधिकारी– रजत सिंह जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP6519

प्रकीर्ण सिविल अपील सं०–11 सन 2026

1. होम सिंह पुत्र श्री बाबूराम
2. बिजेन्द्र पुत्र होम सिंह
3. महेन्द्र पुत्र होम सिंह
4. सतेन्द्र पुत्र होम सिंह

सर्व निवासीगण–ग्राम नगला अजब, मौजा रौरा, पो०–समथर, परगना ताखा, जिला इटावा।

.... अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण।

प्रति

माया देवी पत्नी रामबहादुर, निवासिनी–ग्राम नगला अजब, मौजा रौरा, पो०–समथर परगना ताखा, जिला इटावा।

..प्रत्यर्थी/वादिनी।

निर्णय

1. यह प्रकीर्ण सिविल अपील विद्वान अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट सं०–1, इटावा के द्वारा प्रकीर्ण वाद सं०–67/2022 होम सिंह बनाम माया देवी में पारित आदेश दि०–23.03.2026 से व्यथित होकर मूलवाद सं०–90/2016 के प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। आलोच्य आदेश के द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत 3 ग प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम व 5 ग प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–13 व धारा–151 सि०प्र०संहिता निरस्त किया गया है।

2. संक्षेप में इस अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं कि मूलवाद सं०–90/2016 की वादिनी/प्रत्यर्थी माया देवी की ओर से प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण होम सिंह, बिजेन्द्र, महेन्द्र व सतेन्द्र के विरूद्ध उपरोक्त मूलवाद सं०–90/2016 स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया। इस मूलवाद में प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की लगातार अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध उक्त

Digitally signed by RAJAT SINGH JAIN
Date: 2026.05.01 13:25:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मूलवाद की कार्यवाही विद्वान सिविल जज(जू०डि०), इटावा द्वारा पारित आदेश दिनाँक–04.07.2017 के द्वारा एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी। वादिनी/प्रत्यर्थी की ओर से वाद कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 16 ग से एक किता असल बिक्रयपत्र दिनाँकित–16.09.2011 वहक वादिनी माया देवी नविस्ते लज्जाराम कागज सं०–17 ग दाखिल किया गया तथा मौखिक साक्ष्य के तहत वादिनी/प्रत्यर्थी माया देवी की ओर से स्वयं का शपथपत्र कागज सं०–18 क प्रस्तुत किया गया। अमीन आख्या कागज सं०–13 ग मय नक्शा 13 ग/3 पत्रावलित है, जिसे साक्ष्य के अधीन पुष्ट किया गया है। वादिनी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के एक पक्षीय तर्क सुने जाने के उपरान्त विद्वान सिविल जज(जू०डि०), इटावा के द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनाँक–15.11.2017 द्वारा वादिनी का वाद एक पक्षीय रूप से सव्यय आज्ञप्त करते हुये, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि, वह वादिनी के विवादित प्लाट जिसे वादपत्र के नक्शे में अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित किया गया है, स्थित ग्राम नगला अजब, मौजा रौरा, परगना व तहसील ताखा, जिला इटावा पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें, न ही वादिनी को उक्त प्लाट से बेदखल करके नाली, परनाले व दरवाजा आदि कायम करें।

3. तत्पश्चात प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), इटावा के द्वारा उपरोक्त मूलवाद सं०–90/2016 में पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनाँकित–15.11.2017 मंसूख कर, मूलवाद उपरोक्त को अपने पूर्व क्रमांक पर पुनर्स्थापित किए जाने हेतु अवधि बाधित प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र 5 ग अन्तर्गत आदेश–9 नियम–13 व धारा–151 सि०प्र०संहिता, 3 ग प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम के साथ इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थीगण को न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), इटावा द्वारा मूलवाद सं०–90/2016 माया देवी बनाम होम सिंह आदि में पारित एक पक्षीय आदेश दिनाँकित–15.11.2017 की जानकारी न्यायालय द्वारा इजराय वाद सं०–01/2022 माया देवी बनाम होम सिंह में प्रार्थीगण को प्रेषित सम्मन दिनाँकित–14.01.2022 से हुई। उसके बाद प्रार्थी होम सिंह के पुत्र बिजेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह, जो ट्रक आदि की ड्राइवरी करते हैं, जो अक्सर घर से बाहर रहते हैं, को अवगत कराने के बाद अतिशीघ्र ही उक्त मुकदमा का निरीक्षण प्रार्थनापत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाँक–22.03.2022 को प्रस्तुत किया और उक्त पत्रावली का निरीक्षण दिनाँक–28.03.2022 को हुआ, तब उपरोक्त एक पक्षीय

निर्णय, जो विपक्षिनी माया देवी द्वारा बाला–बाला तरीके से प्रार्थीगण के विरूद्ध कराया गया था, की पूर्ण जानकारी हुई। प्रार्थीगण ने पुनर्स्थापन प्रार्थनापत्र 5 ग प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई गलती नहीं की है और जो गलती हुई है , वह कोविड काल आदि के कारण एवं प्रार्थीगण सं०–2 व 3 के ड्राइवरी पेशा में होने के कारण घर पर न रहने व जानकारी न होने के कारण हुई है। उक्त आधारों पर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र पुनर्स्थापन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किए जाने की याचना की।

4. वादिनी/प्रत्यर्थी ने प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त प्रार्थनापत्र 3 ग के विरूद्ध आपत्ति कागज सं० –12 ग समर्थित शपथपत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत की है कि आपत्तिकर्ती वादिनी द्वारा नेक नियती से अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अपने बैनामा वाली जगह को संरक्षित करने हेतु एक व्यवहार वाद संख्या–90 सन् 2016 माया देवी बनाम होम सिंह आदि, न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादीगण को सम्मन भेजे गये। प्रतिवादीगण ने सम्मन लेने से मना कर दिया। फलस्वरूप प्रतिवादीगण पर तामील न्यायालय द्वारा पर्याप्त मानी गयी और प्रतिवादीगण को कई अवसर सुनवाई के देने के पश्चात मुकदमा की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गई। मुकदमा की पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को बखूवी रही, और बराबर वे मुकदमें की कार्यवाही की जानकारी रखते रहे। परन्तु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनकी ओर से कोई उत्तरपत्र ही प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), इटावा ने वादिनी/आपत्तिकर्ती का वाद उपरोक्त मूल वाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार करके आज्ञप्ति दिनांकित– 15.11.2017 पारित की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र में पुनर्स्थापन प्रार्थनपत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः प्रतिवादीगण परिसीमा अधिनियम का लाभ पाने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थनापत्र 3 ग अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम निरस्त किए जाने की याचना वादिनी की ओर से की गयी।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर पारित उपरोक्त आक्षेपित आदेश दि० –23.03.2026 के द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण का 3 ग प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा –5 परिसीमा अधिनियम व 5 ग प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश –9 नियम–13 व धारा–151 सी०पी०सी०, उक्त पुनर्स्थापन प्रार्थनापत्र 5 ग प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का

कारण स्पष्ट करने में असफल रहने के आधार पर निरस्त कर दिये गये हैं। इसी आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रकीर्ण सिविल अपील प्रस्तुत की गई है।

6. मेरे द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल शुक्ला एवं प्रत्यर्थी/वादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार राजपूत को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थीगण को मूलवाद सं०-90/2016 के लम्बनकाल में कोई जानकारी नहीं हो सकी थी। उक्त मामले में एक पक्षीय निर्णय दि० -15.11.2017 की भी उन्हें जानकारी कोई जानकारी नहीं हो पायी थी। उन्हें उक्त मामले की जानकारी सर्वप्रथम इजराय सं०-01/2013 में प्रेषित समन से दि०-14.01.2022, जो कोरोनाकाल में प्राप्त हुआ था, से हुई। उसके उपरांत उसने सवाल मुआयना डाला और दिनांक 28.03.2022 को उक्त एक पक्षीय निर्णय की जानकारी हुई। उसके उपरांत उसके द्वारा धारा-5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के साथ प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा-151 सि०प्र०संहिता प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी का तर्क है कि उस पर अनुचित तरीके से इन्कारिया द्वारा तामील मान ली गयी है, जब कि उसे मूलवाद की पूर्व में सूचना प्राप्त नहीं हो सकी थी।

8. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण को इस मामले की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है, परन्तु वे जानबूझकर इस मामले में उपस्थित नहीं हुये हैं। अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु जो आधार प्रस्तुत किये गये थे, उन्हें संतोषजनक नहीं माना गया है। स्वयं अपीलार्थीगण के अनुसार जब दि०-14.01.2022 को उनको जानकारी हो गयी थी, तो परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 123 के अनुसार डिक्री के ज्ञान की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। जब कि प्रार्थनापत्र दि० -18.04.2022 को अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जो अवधि बाधित था और कारोना काल और आवेदक बृजेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह के ट्रक चालक होने के कथन असत्य अंकित किये गये हैं। अपीलार्थीगण द्वारा समन लेने से इन्कार किया गया है और गांव के दो स्वतंत्र साक्षी सिपाही लाल व राजेश कुमार के द्वारा उनकी इन्कारी पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये गये हैं और समन अपीलार्थीगण के घर

के दरवाजे पर चस्पा किया गया था। दोनों स्वतंत्र साक्षियों का कोई सम्बंध वादिनी के साथ नहीं है। प्रतिवादीगण के घर में उत्तर व पूरब, दोनों ओर दरवाजे हैं, अतः यदि अमीन ने मकान का दरवाजा उत्तर ओर होना और आदेशिका वाहक ने पूरब ओर होना लिखा है, तो दोनों ही सही हैं। जब अपीलार्थीगण को दि० – 14.01.2022 को जानकारी हो गयी थी, तो दि०–28.03.2022 को निरीक्षण कराने की क्या आवश्यकता थी। अपीलार्थी सं० –1 व 2 गांव में ही रहते हैं और उनको कोई बाधा प्रत्यावेदन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की नहीं थी। कोरोना काल का कोई लाभ अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

9. इस मामले में निम्नलिखित अवधार्य प्रश्न उत्पन्न होते हैंः–

1. क्या अपीलार्थीगण पर समन की तामील सम्यक रूप से की गयी थी?
2. क्या अपीलार्थीगण के द्वारा विलम्ब क्षमा किये जाने का जो कारण दर्शाया गया है, वह पर्याप्त है?
3. क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण का विलम्ब क्षमा किये जाने का प्रार्थनापत्र एवं प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र खण्डित करके त्रुटि की है?

निष्कर्ष

10. **अवधार्य प्रश्न सं०–1 क्या अपीलार्थीगण पर समन की तामील सम्यक रूप से की गयी थी?**

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादिनी द्वारा यह वाद अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दि०–30.01.2016 को संस्थित किया गया था। अग्रिम नियत तिथि 30.01.2016 को वादिनी की ओर से अस्थायी व्यादेश के प्रार्थनापत्र 6 ग व अमीन नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 8 ग पर बल दिया गया। प्रार्थनापत्र 6 ग के सम्बंध में आदेश पारित किया गया कि इस पर प्रतिवादीगण को भी सुना जाना आवश्यक है तथा प्रार्थनापत्र 8 ग स्वीकार करते हुये न्यायालय अमीन को आदेशित किया गया कि वह उभय पक्ष को सूचित कर मौके पर जाकर नियमानुसार उभय पक्ष की उपस्थिति में विवादित स्थल की पैमाइश कार्य सम्पन्न कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश के अनुपालन में न्यायालय अमीन ने अपनी आख्या 13 ग प्रस्तुत की है तथा आख्या में यह उल्लेख किया है कि वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सूचित कर दि०–23.04.2016 को वह अंकित पते पर पहुंचे। वादिनी माया देवी मिली। प्रतिवादीगण होम सिंह, विजेन्द्र, महेन्द्र, सतेन्द्र नहीं मिले। उक्त चारों प्रतिवादीगण के नोटिस की नकूलात उनके दरवाजा आम पर चस्पा कर दिये। नोटिसों की पुश्त पर विस्तृत आख्या अंकित है, जो कि संलग्न है।

11. अमीन रिपोर्ट के साथ नोटिस की प्रतियां संलग्न हैं, जिस पर अमीन ने यह आख्या प्रस्तुत की है कि नोटिस के नकूलात उनके दरवाजा आम पर चस्पा किये गये। दरवाजा खुला है, जो उत्तर तरफ है।

12. अमीन आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के न मिलने पर उनके दरवाजा आम पर नोटिस चस्पा किया गया। सभी प्रतिवादीगण के घर का दरवाजा उत्तर की तरफ है।

13. आदेशपत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि०–29.11.2016 के द्वारा प्रतिवादीगण पर समन की इन्कारिया के कारण तामील पर्याप्त मानी गयी थी और तदुपरांत पारित आदेश दि०–04.07.2017 के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध मूलवाद की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित कर दी गयी है।

14. मूलवाद में जिन इन्कारिया रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त समन से प्रतिवादीगण पर तामील पर्याप्त मानी है, वह अभिलेख पर कागज सं०–21ग/1 लगायत 21ग/4 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त समन पर आदेशिका वाहक की रिपोर्ट अंकित है कि दि० –19.03.2016 को समनों में लिखे पते पर तलाश किया। तलाशने पर सभी लोग मौके पर मौजूद मिले। उन्होंने समन लेने से साफ इन्कार कर दिया। उनके घर का दरवाजा पूरब की ओर है, जो कि दरवाजे पर चस्पा कर दिया।

15. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अमीन द्वारा जो समन की तामील की गयी है, उस पर अंकित आख्या के अनुसार प्रतिवादीगण के घर का मुख्य दरवाजा उत्तर तरफ था, जब कि आदेशिका वाहक द्वारा समन पर जो आख्या दी गयी है और जिसके आधार पर मूलवाद की कार्यवाही को एक पक्षीय अग्रसारित किया गया है, उक्त आख्या के अनुसार प्रतिवादीगण के घर का दरवाजा पूरब की ओर था।

16. आदेश –5 नियम 17 सि०प्र०संहिता के अनुसार–

जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इंकार करे या न पाया जाये, तब प्रक्रिया– *जहाँ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहाँ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात ऐसे प्रतिवादी को न पा सके, (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित हैं, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नहीं है) और ऐसा कोई*

अभिकर्ता नहीं है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील की जा सके, वहाँ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होंगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगायी गयी थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था।''

17. **इस सम्बंध में सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 के नियम 138 में यह प्रावधान किया गया है कि–** *"आदेशिका अत्यन्त सावधानीपूर्वक तामील की जानी चाहिये। आदेशिका की एक प्रति समन में नामित व्यक्ति को या उस व्यक्ति के परिवार के किसी वयस्क सदस्य, चाहे पुरूष या स्त्री, को या ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को जो उसको उसकी ओर से प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत हो, दी जानी चाहिये। दूसरी प्रति पर तामील किये गये व्यक्ति की अभिस्वीकृति जो पड़ोस के लोगों द्वारा उनको आदेशिका की अन्तर्वस्तुयें समझाने के पश्चात अधिप्रमाणित होगी, अवश्य लिखी जायेगी, आदेशिका तामीलकर्ता अपनी रिपोर्ट आदेशिका तामील करते समय तुरन्त तैयार करेगा।''*

18. **नियम 139 के अनुसार** –*''यदि आदेशिका मकान के बाहरी दरवाजे पर चस्पा की जाये, तो इस तथ्य की अभिस्वीकृति कस्वा में उस परिक्षेत्र के दो माननीय व्यक्तियों से या गांव के प्रमुख व्यक्ति (प्रधान), चौकीदार, लेखपाल अथवा पड़ोसी द्वारा प्राप्त की जानी चाहिये''*

19. आदेश 5 नियम 2 सि०प्र०संहिता के अनुसार प्रत्येक समन के साथ वादपत्र की एक प्रति होगी।

20. अपीलार्थीगण ने अपने प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र के प्रस्तर–4 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उनके घर का दरवाजा हरगिज पूरब की ओर न कभी रहा है और न मौके पर है और इसी आशय का शपथपत्र 6ग/119ग भी प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बंध में वादिनी की ओर से आपत्ति 15ग के प्रस्तर–6 में उत्तर व पूरब, दोनों ओर दरवाजा होना बताया है। किन्तु अन्य किसी स्वंत्र साक्षी का साक्ष्य इस सम्बंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही आदेशिका वाहक को

परीक्षित कराया गया है कि उसके द्वारा जो तामील की गयी थी, वह सही की गयी थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन्कारी द्वारा समन की तामील करने के साक्षी के रूप में सिपाही लाल पुत्र बद्री प्रसाद व राजेश कुमार पुत्र मोहर सिंह के नाम अंकित किये गये है, किन्तु दोनों साक्षी कहाँ के रहने वाले हैं, यह स्पष्ट नहीं किया गया है, न ही समन वादपत्र की प्रतिलिपि के साथ चस्पा किया गया है। अपने प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र में अपीलार्थीगण ने सिपाही लाल को वादिनी का सगा जेठ होना और राजेश कुमार को वादिनी के सगे जेठ सिपाहीराम की सगी मौसी का लड़का होना कहा है और यह भी कहा है कि राजेश नगला अजब का निवासी न होकर नगला अजब से दूर ग्राम गढ़िया का निवासी है। इस सम्बंध में वादिनी ने दोनों गवाहों को अपने ही गांव का निवासी होना बताया है और यह भी कहा है कि उनका कोई रिश्ता वादिनी के साथ नहीं है। किन्तु उनका भी कोई आधार कार्ड या पहचानपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो सके कि उक्त दोनों साक्षीगण वादिनी के गांव के ही निवासी हैं।

21. आदेश 5 नियम 17 सि०प्र०संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि आदेशिका की प्रति बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगायी जायेगी और आदेशिका वाहक जो आख्या लगायेगा, उसमें उस व्यक्ति का नाम व पता भी होगा, जिसने गृह पहचाना था। जैसा कि पहले पाया गया है कि साक्षीगण के पते आदेशिका 21ग/1 लगायत 21ग/4 में अंकित नहीं किये गये हैं और न ही यह कथन है कि अपीलार्थीगण व उनके घर की पहचान उक्त दोनों साक्षीगण के द्वारा की गयी है। इस प्रकार प्रथमतः पूरब में द्वारा दर्शाने के कारण, द्वितीय साक्षीगण का पता अंकित न करने के कारण, तृतीय साक्षीगण के द्वारा अपीलार्थीगण के घर की पहचान का कथन अंकित न करने के कारण और चतुर्थ वादपत्र की प्रतिलिपि साथ चस्वा न किये जाने के कारण 21ग/1 लगायत 21ग/4 द्वारा की गयी तामील संदिग्ध है और विश्वसनीय नहीं है।

22. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति के मकान में एक से अधिक द्वार हो सकते हैं, किन्तु बाहरी अथवा मुख्य द्वार एक ही होता है, जिससे सामान्यतः आवागमन होता है और यदि आवागमन वाले द्वार पर समन नहीं लगाया जाता है, तो स्वाभाविक ही है कि उसे सहजदृश्य भाग नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार मात्र प्रतिशपथपत्र में यह कह देने कि अपीलार्थीगण के मकान के दरवाजे उत्तर और पूरब, दोनों ओर हैं, कागज सं०-21ग/1 लगायत 21ग/4 के द्वारा की गयी तामील पर्याप्त नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तामील विधिनुसार मानकर

त्रुटि की है, बल्कि इस पर कोई विचार ही नहीं किया है कि कागज सं० –21 ग/1 लगायत 21 ग/4 के द्वारा किस प्रकार समन की तामील पर्याप्त थी।

23. तदनुसार अवधार्य प्रश्न सं०–1 अपीलार्थीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थी/वादिनी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

24. अवधार्य प्रश्न सं०–2 क्या अपीलार्थीगण के द्वारा विलम्ब क्षमा किये जाने का जो कारण दर्शाया गया है, वह पर्याप्त है?

इस मामले में स्वयं अपीलार्थीगण ने यह कथन किया है कि दि०–14.01.2022 को समन प्राप्त होने पर उन्हें मामले का ज्ञान हुआ। यह स्वाभाविक है कि दि०–14.01.2022 का जो भी समन दर्शित किया गया है, वह निष्पादन वाद का था और केवल उसको प्राप्त हो जाने से यह नहीं माना जा सकता है कि मूलवाद का समस्त ज्ञान अपीलार्थीगण को हो गया। यह सर्वविदित है कि जनवरी 2021 में कोरोना चल रहा था और इसी कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं०–21/2022, प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं० –665/2021 ०व सो मोटो रिट पिटीशन (सी) नं०–03/2020 इन रेः कोगजीनेंस फॉर एक्सटेंशन आफ लिमिटेशन में पारित आदेश दि०–10.01.2022** के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि परिगणना करने पर दि०–15.02.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को गिना नहीं जायेगा और यदि किसी मामले प्रस्तुत करने की अवधि इस मध्य व्यतीत हो गयी है, तो 90 दिन की अवधि सभी व्यक्तियों को दि० –01.03.2022 से प्राप्त होगी। यहाँ तक कहा कि यदि किसी मामले को प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा दि०–01.03.2022 को 90 दिन से अधिक बची रह जाती है, तो ऐसी अधिक वाली अवधि को ही माना जायेगा।

25. इस प्रकार यदि उक्त अवधि अवसान करने के उपरांत दि० –22.03.2022 को निरीक्षण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, तो वह 30 दिन की परिसीमा के अन्दर माना जायेगा और तदुपरांत जब दि०–28.03.2022 को कहे गये वास्तविक ज्ञान से प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के दि० –18.04.2022 30 दिन की समयवधि के अन्दर ही आती है और इस प्रकार परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 123 के अनुसार ही है।

26. अब यह देखना है कि दि०–15.11.2017 से दि०–15.03.2020 तक की अवधि का क्या स्पष्टीकरण अपीलार्थीगण के द्वारा दिया गया है? इस सम्बंध में अपीलार्थीगण का कथन है कि उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था और समन की जो तामील उन पर दर्शायी गयी है, वह जाली व फर्जी है।

27. अवधार्य प्रश्न सं० –1 निर्णीत करते समय इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि अपीलार्थीगण पर समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गयी है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि उनको मूलवाद अथवा उसमें हो रही कार्यवाही का ज्ञान था। इस प्रकार ज्ञान के अभाव में जो विलम्ब का कारण है, वह पर्याप्त पाया जाता है।

28. अवधार्य प्रश्न सं० –2 भी तदनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थी/वादिनी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

29. अवधार्य प्रश्न सं०–3 क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण का विलम्ब क्षमा किये जाने का प्रार्थनापत्र एवं प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र खण्डित करके त्रुटि की है?

यह सुस्थापित है कि प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र वहां पर स्वीकार कर लिया जायेगा, जहाँ पर प्रतिवादी यह साबित करने में सफल रहा है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से की गयी थी, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मैसर्स नीरजा रियल्टर्स प्रा०लि० बनाम जगलू (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण (2018) 2 एस०सी०सी० 649 एवं परिमल बनाम वीना उर्फ भारती (2011) 3 एस०सी०सी० 545** के मामले में अवधारित किया है। इन विधि व्यवस्थाओं में यह भी कहा गया है कि पर्याप्त कारण का आशय यह है कि प्रतिवादी को चूक के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सके। चूँकि वर्तमान मामले में अपीलार्थीगण को वाद का ज्ञान ही नहीं था और उन्हें समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गयी थी, तो यह स्वाभाविक है कि उनके पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह वाद में उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकते। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 06 वर्ष का विलम्ब प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में होना दर्शाया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में प्रतिवादीगण के द्वारा स्वयं कोई विलम्ब नहीं किया गया है, बल्कि उन पर गुपचुप तरीके से समन की तामील कराकर वाद को एक पक्षीय रूप से निर्णीत कराया गया है।

30. इस प्रकार प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है और प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र भी स्वीकार किये जाने योग्य है। तदनुसार आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य है तथा प्रकीर्ण अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

31. अवधार्य प्रश्न सं०–3 तदनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थी/वादिनी के विरूद्ध सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

आदेश

प्रकीर्ण अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांकित 23.03.2026 अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र 3 ग अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम एवं प्रत्यावर्तन प्रार्थनापत्र 5 ग आदेश 9 नियम 13 व धारा–151 सि०प्र०संहिता रू०–500/– (पाँच सौ) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है।

अभिलेख वापस भेजा जाये। विचारण न्यायालय मूलवाद सं०–90/2016 को अपने मूल नम्बर पर प्रतिस्थापित करेगे और नियत दिनांक को प्रतिवादीगण अपना प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करेंगे। तदुपरांत विधिनुसार उक्त वाद में सुनवाई करके इसका निस्तारण किया जावे।

मामले के तथ्य व परिस्थितियों में पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष दि० –02.07.2026 को उपस्थित हों।

(रजत सिंह जैन)
दि०–01.05.2026 जनपद न्यायाधीश,
इटावा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(रजत सिंह जैन)
दि०–01.05.2026 जनपद न्यायाधीश,
इटावा।